बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

शनिवार, तिथि 10 अप्रैल, 1982 ।

विषय-सूची

पृष्ठ

विधान-कार्य : सरकारी विधेयक :

(क) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1982 में बिहार विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन । (वि० सं० वि० 4/82) (स्वीकृत) । — 1-2

(ख) बिहार विधान-परिषद् उद्भूत में तथा उसके द्वारा यथापारित बिहार कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 1974 (सभा द्वारा यथासंशोधित) स्वीकृत) । — 2—8

(ग) बिहार होमियोपैथी चिकित्सा शिक्षण संस्था (विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 1982 (वि० सं० वि० 15/82) (सभा द्वारा यथासंशोधित स्वीकृत) । — 8—27

(घ) बिहार राज्य आवास बोर्ड विधेयक, 1982 के सदन में व्यवस्थापन के सम्बन्ध में चर्चा । — 27

(ङ) अध्यादेश की अस्वीकृति के सम्बन्ध में संकल्प : बिहार राज्य आवास बोर्ड अध्यादेश, 1982 (अस्वीकृत) । — 28—30

(ड) अध्यादेश की अस्वीकृति के सम्बन्ध में संकल्प :
बिहार राज्य आवास बोर्ड अध्यादेश, 1982।

श्री जनार्दन तिवारी––अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा बिहार राज्य आवास बोर्ड अध्यादेश, 1982 को अस्वीकृत करती है"।

महोदय, ऐसा हम इसलिये कह रहे हैं कि आवास बोर्ड में इस ढंग से लूट हो रही है, यह मेरा ही नहीं कहना है बल्कि इसकी चर्चा तमाम जगहों में है कि जितने भी तरह के करप्शन हैं सभी बोर्ड के अंदर हो रहे हैं और खासकर भूतपूर्व बोर्ड के अध्यक्ष श्री शंभूशरण ठाकुर ने काम बहुत किया है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने इनपर स्ट्रीक्चर दिया जिसमें कहा गया है कि श्री शंभू शरण ठाकुर चोर हैं। लेकिन यह मुख्य मंत्री ऐसे भ्रष्ट लोग को आवास बोर्ड के चेयरमैन बनाये हुए थे, यह इस राज्य का दुर्भाग्य है। ये सारी बातें अखबारों में आयी हैं। महोदय, हाईकोर्ट का स्टीक्चर है कि कंकड़बाग में जो खाली मैदान था, पार्क का मैदान था। सभी को उसने पैसा लेकर बेच दिया है। शंभुशरण ठाकुर घूस लेकर लोगों को गलत तरीके से आवंटित कर दिया है। यह काम वहां के इंजिनियर से मिलकर किया गया है और इस तरह से लाखों लाख का घोटाला किया है। इस तरह से यह आवास बोर्ड करप्शन का अड्डा बना हुआ है। इसको रोकने के लिये मुख्य मंत्री ने जो मंत्री बनाया है उसका डिजाईन तो देख लीजिये। समझ में नहीं आती कि वे आवास बोर्ड में क्या करेंगे, इंजिनियर से मिलकर क्या करेंगे। महोदय जब ये पशुपालन मंत्री थे तो मुर्गी के अंडा पर ही खुश हो जाते थे और अब ये कोठरी ले कर ही खुश हो जायेंगे। महोदय आप देखेंगे कि यह आवास बोर्ड कंकड़-बाग में जो जमीन खाली थी, खेल का मैदान था, पार्क के लिये जमीन थी सब को श्री शंभुशरण ठाकुर ने घूस लेकर आवंटित कर दिया है।

वह रास्ता खोले गये हैं और आवास बोर्ड का पूरे प्रान्त व्यापी बीग सिटीज में आवास बना हुआ है और इसमें लाखों-लाख रुपये का घोटाला हो रहा है। कोई नियम नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। इस प्रकार आवास बोर्ड को खुले आम लूट रहे हैं। इसलिए मैंने इसको अस्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव दिया है।

श्री अब्दुल समी नदवी—अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिये इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाया है कि मेम्बरों की जो शंकायें हैं उनको दूर करके नई मिसाल रखूं। इसलिये मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने अस्वीकृति के प्रस्ताव को वापस ले लें।

डॉ० रामराज प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य श्री जनार्दन तिवारी जी ने कहा है उसका जवाब सरकार ने अभी दिया है लेकिन एक लब्ज भी सुनाई नहीं पड़ा है। सरकार को जवाब देना चाहिए था। बोर्ड के चेयरमैन के बारे में जैसा माननीय सदस्य श्री जनार्दन तिवारी जी ने कहा है उसके संबंध में सरकार फिर से जवाब दे।

श्री अब्दुल समी नदवी—अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों का इस्तीफा बोर्ड ने ले लिया है, अब वैसे लोगों को बोर्ड में बैठाये हुए नहीं हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जबसे आया हूं खराबी को दूर कर रहा हूं और आशा है आगे कोई भी खराबी नहीं रहेगी। इसलिए माननीय सदस्य अपने अस्वीकृति के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री राजकुमार पूर्वे—माननीय मंत्री कौन चीज पर जवाब देते हैं अगर कह दें तो हमलोग मान जायेंगे।

श्री राजमंगल मिश्र—अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री श्री रघुनाथ झा मुख्य मंत्री की जगह बैठे हुए हैं उनको वहां नहीं बैठना चाहिए।

श्री जनार्दन तिवारी—जैसे मिनिस्टर हैं इसके, लूट लिया हुस्नवालों ने।

अध्यक्ष—क्या मा० सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री जनार्दन तिवारी—जी नहीं।

अध्यक्ष—प्रश्न है कि :

यह सभा "बिहार राज्य आवास बोर्ड अध्यादेश, 1982" को अस्वीकृत करती है।

(विभाजन घंटी)

अध्यक्ष—खड़ा होकर मतदान का फल इस प्रकार है ।

"हां" के पक्ष में 54 और "ना" के पक्ष में 83 ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(च) बिहार राज्य आवास बोर्ड विधेयक, 1982 (वि० स० वि० 16/82)

श्री अब्दुल समी नदवी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार राज्य आवास बोर्ड विधेयक, 1982" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"बिहार राज्य आवास बोर्ड विधेयक, 1982" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।)

श्री अब्दुल समी नदवी—मैं बिहार राज्य आवास बोर्ड विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं

अध्यक्ष—यह विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

श्री अब्दुल समी नदवी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार राज्य आवास बोर्ड विधेयक, 1982" पर विचार हो ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"बिहार राज्य आवास बोर्ड विधेयक, 1982" पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री रामलखन राम रमण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार राज्य आवास बोर्ड विधेयक, 1982 तिथि 20 अप्रील, 1982 तक जनमत जानने के लिये परिचारित हो ।"

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव मैंने जनमत जानने के लिये प्रचारित करने को लाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि आवास जीवन-यापन की बुनियादी आवश्यकता है। यों इस विधेयक में संशोधन यह कह कर ला रहे हैं कि इससे आम लोगों को गरीब, बेघरवालों को लाभ होगा, लेकिन बिल को अच्छी तरह से अध्ययन कर देखा जायगा तो बात उल्टी है। वो इस बोर्ड द्वारा जिन लोगों के लिये आवासीय व्यवस्था हो रही है उसे यों कहा जाय कि जिनके पास निश्चित रूप से निधि नहीं है उनके लिये आवासीय व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिये इसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह स्पष्ट झूठे वादे हैं। इस तरह उन्होंने कस्में जो हैं उनको उन्होंने तोड़ दिया है। अन्त में मैं कहता हूं कि कस्में तोड़े वायदों का दाद देता हूं, अगर इस तरह नहीं मानेंगे तो मैं खुद भी देता हूं।

श्री जनार्दन तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार राज्य आवास बोर्ड विधेयक, 1982 एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर दें।"

एक पोथा जो इसमें दिया गया है उसको देखा जाय। इसमें खंडशः विचार होना जरूरी है। हुजूर, इसमें ऐसे-ऐसे लोग हैं जो मिड्ल फेयरी फेल हैं। लेकिन हो गये हैं बड़े-बड़े पदों पर आसीन। इसमें टेकनिकल लोग भी हैं। एस० डी० ओ० हैं। कितना भ्रष्टाचार का आरोप है उन पर। इसमें ऐसे एक भी नहीं होंगे जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा। एक हैं बड़े लीडर के भगिने, आनन्द बाबू। ये सुपरिनटेंडिंग इंजिनियर हैं। जबसे आवास बोर्ड हुआ है तबसे ये पटने में हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का गोलमाल उन्होंने किया है। मैं कहूंगा कि इसमें शक्ति ऐसी होनी चाहिए और नियम ऐसा बनना चाहिए कि ऐसे लोगों को जब चाहें तब हटा दें। एक श्री शंभुशरण ठाकुर को इन्होंने रखा है, भगवान जाने इनको कहां से लाकर रखा है। मुख्य मंत्रीजी के जितने चेले-चाटी हैं, वे सभी लेक्चरर हैं और उनको लाकर रख दिया गया है लूट करने के लिये और वे लूट कर चले जाते हैं। आवास बोर्ड के मंत्रीजी को तो आप लोग देख ही रहे हैं। ऐसे-ऐसे लोगों को इसमें रखा गया है ऐसे-ऐसे प्रभावशाली

लोगों को रखा गया है जो आवास बोर्ड के प्रौबलेम को ये सोल्व कर रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसकोसंयुक्त प्रवर समिति में जांच हेतु भेज दिया जाय।

श्री राम विलास मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि :

"बिहार राज्य आवास बोर्ड विधेयक, 1982 एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर दे।"

बिहार आवास बोर्ड विधेयक, 1982 को मैं प्रवर समिति में भेजने के लिये इसलिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह विधेयक 119 क्लोज का है और इस विधेयक में जो धारा, उप-धारा रखी गयी है उसके बारे में बतलाना चाहता हूं कि आवास बोर्ड में जो गंभीर समस्याएं हैं उसका निदान इससे नहीं हो सकता है बल्कि इससे और भी जटिल बन जाता है। शहरों, कल-कारखानों तथा उद्योग-धंधों का जो विकास आजकल हो रहा है उनमें आवासीय व्यवस्था की सहूलियत मिलनी चाहिए थी लेकिन इससे उसका निदान नहीं हो पा रहा है। आवास बोर्ड विधेयक को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि हमारी जो आवासीय समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके और आवासीय सुविधायें प्रदान करने में सहूलियत मिल सके। लेकिन इस विधेयक में जो 119 क्लौज हैं उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह विधेयक समस्या का हल नहीं करता है बल्कि इसको और जटिल बनाता है। इसलिये मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री राजमंगल मिश्र—अध्यक्ष महोदय, इसमें 13 खंड हैं और 119 क्लौज हैं। इतना बड़ा बिल सदन के सामने लाया गया है। मंत्रीजी बाइसकोप हैं क्या, यह मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जिस नीयत से इसको बनाना चाहिए था वह नहीं बनाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि कंकड़बाग कोलोनी में आवास बोर्ड के मकान बने हैं लेकिन वहां न मनोरंजन के साधन हैं, न लड़कों के खेलने के लिये प्ले-ग्राउंड है और न कोई स्कूल या सिनेमा ही है। वहां गरीबों के लिये मकान 80 प्रतिशत बनाना था, लेकिन नहीं बनाया गया। मिडल इनकम वालों के लिये बनाया गया और बड़े-बड़े लोगों को प्लौट एवं मकान दिये गये। यही नहीं, मैं इस संबंध में अपने बारे में कहना चाहता हूं कि आवास बोर्ड के आदेश पर मैंने

2 हजार रुपया जमा किया। मेरे साथ परमानन्द झा भी जमा किये लेकिन हमको मकान नहीं दिया गया। मुंह देख कर प्लौट या मकान दिया गया, किसी के बेटे को दिया गया, किसी की बेटी को दिया गया और किसी के भाई-भतीजे को दिया गया। अभी हमारे सामने एक मेम्बर बैठे हुए हैं, वैद्यनाथधाम के हैं, उन्होंने भी रुपया जमा किया था लेकिन मकान अथवा प्लौट उनको भी नहीं दिया गया। गरीबों को ज्यादा मकान बना कर देना है, लेकिन गरीबों को मकान नहीं दिया जाता है। इस संबंध में राजो बाबू, रघुनाथ झाजी और पूर्वेजी ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये थे लेकिन उनकी बातों को माननीय मंत्रीजी नहीं माने। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि दोनों सदनों के सदस्यगण बैठकर 15 दिनों के अन्दर इसको बना कर तैयार कर लें उसके बाद सदन में इसको पेश किया जाय। इसलिये मैं मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि श्री राजो सिंह बैठे हुए हैं, मुख्य मंत्रीजी हैं उनसे मिलकर इसपर बात करें और संयुक्त प्रवर समिति में भेजें और वहां से 15 दिनों के अंदर पास कराकर यहां लावें तो यह सारी जनता के लिये तथा सदन के लिये अच्छा होगा। इसलिये मैं संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री तुलसी सिंह—अध्यक्ष महोदय, आवास बोर्ड एक दशक से अधिक से चल रहा है और आर्डिनेंस को नया रूप देने के लिये मंत्री महोदय ने इस विधेयक को लाया है। आवास बोर्ड का एक दशक का जो अनुभव है और उसको जो कारंवाई हुई है उससे ऐसा अनुभव हुआ है कि जिस आर्डिनेंस के आधार पर यह बिल लाया गया है वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। पहली बात में मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि बोर्ड द्वारा जमीन ली गयी है घर बनाने के लिये जिनको अपना घर नहीं है। ऐसे लोगों को जमीन देने के लिये आवास बोर्ड का गठन हुआ। ग्रामीण हौउसिंग निर्माण समिति बनी गरीबों को, जिनको घर नहीं है उनको घर बनाने के लिये जमीन देने के लिये, लेकिन आर्डिनेंस के लागू होने से उन गरीबों को घर नहीं मिला। बड़े-बड़े लोगों को घर तथा जमीन मिली जो पटने में रहते हैं। वही लोग घर तथा भूखंड पाते रहे। जिस दाम पर बड़े लोगों को जमीन देने की बात थी उससे कम दाम पर उनको बोर्ड ने जमीन दी। उदाहरण स्वरूप मैं डाक्टर कोओपरेटिव सोसाइटी की बात करना चाहता हूं। डा० कोओपरेटिव सोसाइटी के साथ जमीन बन्दोबस्ती की गयी। सरकार का

आदेश था कि उसके बगल की जमीन को नीलामी की जायगी और नीलामी करने के बाद जो दाम आयगा वही डा० कोओपरेटिव से वसूल किया जायगा। जमीन नीलामी हो गयी, लेकिन आजतक डा० कोओपरेटिव सोसाइटी से दाम वसूल नहीं किया गया। इसके लिये चिट्ठी भी नहीं लिखी गयी। कानून के मुताबिक जो पैसा वसूल होना चाहिये था वह वसूल नहीं हुआ। इसके चलते आवास बोर्ड को 25 लाख रुपये का घाटा हुआ है। एक और उदाहरण में देना चाहता हूं। अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति श्री बी० एन० मिश्र और सी० एन० तिवारी की एलाटमेंट में गड़-बड़ी के चलते हाईकोर्ट में जाना पड़ा। उनलोगों को इसलिये जाना पड़ा कि कानून में जो प्रावधान है वह पूरा नहीं है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इसको कानून का रूप दे रहे हैं उसके लिये अच्छा होगा कि आप इसे जनता में परिचारित करवाइए और 20 मई के बाद जब यह परिचारित होकर सुझाव के साथ आ जाये तो फिर इस बिल को लाइए, क्योंकि जिन भूमिहीन और गरीब लोगों की भलाई का बहाना लेकर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के फैसले के मुताबिक इस बिल को लाया है उसके ठीक उल्टा हो रहा है और अभी श्री राजमंगल मिश्र ने ठीक ही कहा है कि आवासीय कालोनी में स्कूल, पार्क तथा सार्वजनिक उपयोग के लिये जो स्थान है उसके लिये उसका उपयोग नहीं किया गया और पैसा लेकर दूसरों को आवंटित किया गया। नियम की अवहेलना करके सरकार के बिना परामर्श के तथा टाउन प्लानर की राय के बिना प्लान ले आउट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है लेकिन छिटपुट जमीन कहकर बोर्ड ने बहुत सी जमीन को गलत ढंग से आवंटित किया है। इसलिये इसे जनता में परिचारित किया जाये।

श्री रामलखन सिंह यादव--अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के समक्ष पेश है उसके कई मुद्दे पर हमारे मित्रों ने सदन का ध्यान दिलाया है और सरकार का ध्यान दिलाया है लेकिन मैं एक विषय के सम्बन्ध में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो आवास बोर्ड विधेयक है और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि शहरों में मकान बनाने की बड़ी आवश्यकता है तो यह सरकारी नीति और 20-सूत्री कार्यक्रम के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करेंगे और शहर में आने से लोगों को रोकेंगे और दूसरी तरफ गरीबों की जमीन को ले ले करके इस तरह से हर जगह कोलोनी बसा-बसा कर हम कैसे

लोगों को जिनको कोई आवश्यकता नहीं है वैसे लोगों को जमीन आवंटित कर रहे हैं और मकान दे रहे हैं और इस तरह से लोगों को शहर में बसाने का इंतजाम कर रहे हैं और गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हुजूर, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हुजूर, पटने को ही देखा जाय यहां कंकड़बाग कोलोनी हो चाहे, श्रीकृष्णा नगर हो या श्रीकृष्णापुरी हो उसमें देखा जाय कि किस तरह से गरीबों की जमीन ली गयी है और इस तरह से उनको शहर में किसी तरह से रहने की जगह नहीं रह गई है और उनकी जमीन लेकर उजाड़ने का जिम्मा सरकार ने ले लिया है। अब देखा जाय कि चकारम है, मन्दिरी है या पुनाई चक है या कुम्हरार है इन सब जगहों में सरकार ने गरीबों की जमीन ले ली। इसमें आप देखेंगे कि उनके मवेशी बांधने के लिए या कोई काम करने के लिए या अपना मकान बनाने के लिए भी उनके पास जमीन नहीं छोड़ा गया और उनके घर तक या जो दलान है वहां तक खूंटा खड़ा करके सरकार ने जमीन एक्वायर कर लिया है और इस तरह से आप नगर बसाते जा रहे हैं। हुजूर, आप जानते हैं कि कुम्हरार प्राचीन जगह ऐतिहासिक जगह है उसकी जमीन को लेकर सरकार ने बहुत बड़ी कोलोनी कंकड़बाग बसा दी लेकिन वहां के रहने वाले वाशिन्दे के लिए पेय-जल का भी इंतजाम नहीं किया। इस तरह से आप देखेंगे कि जितने भी पुरानी बस्ती है उनको आप उजाड़ रहे हैं और उनको स्लम एरिया बना रहे हैं। आप पब्लिक परपसेज के लिए जमीन एक्वायर कीजिये, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। सार्वजनिक संस्थान के लिए एक्वायर कीजिये, कोई एतराज नहीं है। आप जो जमीन उन गरीबों से लेते हैं उसका दाम आप पांच सौ-छः सौ रुपया प्रति कट्ठा देते हैं जबकि मार्केट में उस जमीन का दाम 20 हजार रुपया प्रति कट्ठा होता है। तो इस तरह से सरकार सस्ते दामों पर जमीन एक्वायर कर लेती है और वैसे लोगों को जिनको कोई आवश्यकता नहीं है, जिनको जमीन जायदाद देहात में है और देहात में ही वे रहते हैं उनको आप जमीन देते हैं और वे मकान बना लेते हैं। ऐसे लोगों को हम कोलोनी में हायर परचेज पर देकर बसा देते हैं। इस तरह से ऐसे लोग तीन-चार मकान बना लेते हैं और किराये के रूप में आमदनी का स्रोत बना लेते हैं। यही नहीं जो मोटर गैरेज रहता है उसके ऊपर एक कोठरी ये लोग अपने लिए बना लेते हैं और वहीं बैठकर अपना किराया वसूली करते हैं और दिन-रात शहर में चहलकदमी करते रहते हैं। इसलिए मैं इस अन्यायपूर्ण कार्य का विरोधी हूं। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि

स्वर्गीय वीरचंद पटेल जब यहां के राजस्व मंत्री थे और बाबू कृष्ण वल्लभ सहाय मुख्य मंत्री थे तो पटेल साहब ने लिखा था कि "दीस इज लीग्लाईज्ड लूक औफ दी पुअर पीपुल बाई रीच पीपुल।" इसलिए ऐसी लीग्लाईज्ड लूट में सरकार पार्टी नहीं बन सकती है और उसी आधार पर श्री कृष्ण नगर में जो जमीन एक्वायर की गयी थी उसको बाबू कृष्ण बल्लभ सहाय ने छोड़ दिया था। आप पब्लिक परपसेंज के लिए जमीन एक्वायर कीजिये, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इमरजेंसी क्लौज लगाकर पठवन के लिए और सिंचाई के लिए जमीन एक्वायर कर लेते हैं तो यह ठीक काम नहीं है।, इस तरह का धंधा सरकारी अफसरान करते हैं और सरकार के सामने इस तरह से रख देते हैं। मेरा कहना है कि सरकारी जमीन जहां एक्वायर करे वह पब्लिक परपस के लिये करे, जो मार्केट रेट हो उस पर दीजिए, इसमें मुझ एतराज नहीं है। आप स्कूल खोलिए, अस्पताल बनाइये, अपने कर्मचारियों को रहने के लिए आवास बनाइये, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इसका समर्थन करूंगा। लेकिन कर्मचारियों को दीजिए तो भाड़ा पर लगाने के लिए नहीं दीजिए, उसको रहने के लिये दीजिये। आप जमीन कोई संस्था बनाने के लिए एक्वायर कीजिये। लेकिन जमीन को एक्वायर करके सफेदपोश के लिये, धनी लोगों के लिये कोलनी जो बसाते जा रहे हैं और गरीबों के साथ लूट कर रहे हैं, यह अन्यायपूर्ण है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आप जमीन का डिमार्केशन कर दीजिये और बिजली कौस्ट, पानी कौस्ट, स्वेरेज कौस्ट, सड़क कौस्ट इन चारों कौस्ट को लेकर आप जमीन का मार्केट रेट बांध दीजिये और जिसकी जमीन है उसको मार्केट रेट पर बेचने दीजिये। प्राइवेट परसन की तरफ सरकार बीच में शिखडी के रूप में लूट करे, अन्याय करे, यह अन्याय है। एक एक फेमली पांच-सात मकान आवंटित करके रखे हुए हैं। आवंटन किसके लिये? जिसको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मकान रखकर किराया वसूल करता है। इसलिये इस बात की जरूरत है कि सारे मामले को जो काफी दिनों से लंबित रहा है और अध्यादेश के रूप में आज तक चल रहा है इसकी सेलेक्ट कमिटी में जांच हो। सेलेक्ट कमिटी में जितने एमेंडमेंट्स किये गये थे वह भी इसमें नहीं है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि फिर से ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी में इसे भेजा जाय और सारे मुद्दों पर फिर से विचार किया जाय, नहीं तो मैं समझता हूं कि जो मौजूदा बिल है उससे यहां के रहने वाले गरीब लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।

श्री जगदीश प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, आज आवास की समस्या काफी कठिन है और पटना में देखा जाता है कि जिन लोगों के लिये आवास बना है उसमें बड़े-बड़े लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों को आवास का आवंटन किया गया है जो पैरवी किये हैं। अध्यक्ष महोदय, चाहे कंकरबाग कोलनी हो, चाहे पाटलीपुत्र हो, चाहे राजेन्द्र नगर हो, जहां भी देखेंगे बड़े-बड़े डाक्टर, इंजीनियर और बड़-बड़े दाधिकारी जो हैं उन्हीं को आवंटन मिला है। छोटे-छोटे लोग दौड़ते रहे, लेकिन अभी तक उनको जमीन नहीं मिली है। ऊंचे दाम की जमीन कम दाम पर बड़े-बड़े लोगों को दी जाती है। छोटे-छोटे लोग आवास बोर्ड में दौड़ते-दौड़ते मर गये, लेकिन जमीन नहीं मिली। विधायक लोगों ने भी आवेदन दिया है, हमने भी दिया है, लेकिन दस वर्ष दौड़ते रहे जमीन का आवंटन नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आवास बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि आप कभी आवास बोर्ड में जायेंगे तो पता चलेगा कि वहां के कर्मचारी बिना पैसा का कोई काम नहीं करते हैं। एक फाइल के पीछे सैकड़ों हजारों रुपया लोग देते हैं। इस तरह से बोर्ड इतना सड़ा हुआ है, इतना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है कि कोई चाहे कि फाइल बिना पैसा दिये हुये आगे बढ़ावें तो नहीं हो सकता है। इसी कारण से आवास बोर्ड के अध्यक्ष को जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने स्ट्रीक्चर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जितने भ्रष्ट पदाधिकारी और कर्मचारी आवास बोर्ड मे हैं उनको हटाया जाय और एक स्वस्थ वातावरण बनाया जाय, नहीं तो आवास बोर्ड को वे नहीं चलने देंगे। इसके लिये हमारे मंत्री अगर सक्षम हों तभी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आवास बोर्ड के मंत्री अगर इस बात की जानकारी लें कि किसको मकान दिया जाता है, कितने लोगों का आवेदन अरसे से पड़ा हुआ है, उनका आवंटन क्यों नहीं मिला जिन्होंने पैरवी की उनको मिल गया, और 1980-81 में जो लोग निबंधित कराया उनको मिला और जिन्होंने 1965, 1970 और 1972 में निबंधन कराया उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं हुआ इसका क्या राज है? मैं कहना चाहता हूं कि सरकार आवेदकों की एक सूची बनाये और उसको प्रकाशित करावे। ताकि बंगलिंग नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, कौन कब आवेदन दिया, किसका कितना पैसा जमा है इसकी जानकारी देने वाला आवास बोर्ड में कोई नहीं है। अगर पैसा खर्च करे तो पता चल जाएगा और उसकी संचिका आगे बढ़ जायेगी। इसलिये मैंने कहा कि एक सूची होनी चाहिये ताकि जितने लोग आवेदन दिये हैं

उसका पता चल सके और इसके अनुसार कारवाई हो और दोषी व्यक्तियों को दंडित करें और गरीबों के लिये जो आवास बोर्ड को आवास बनाना है जो कम पैसे वाले हैं, मध्यवर्ग के लोग हैं ऐसे लोगों को जमीन मिल सके। इस पर ध्यान देना चाहिये। क्योंकि उसके साथ आवास की समस्या काफी कठिन है। पटने में उनके लिये रहना कठिन है। जो बड़े-बड़े लोग हैं वे पटने में मकान बनाते हैं और किराये पर लगाते हैं। उनलोगों ने ऐसा व्यवसाय बना लिया है जिसके चलते आवास बोर्ड की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आवास संबंधी गरीबों के साथ जो दिक्कत है उसको दूर किया जाय।

श्री राजकुमार पूर्वे—अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि इसको एक सेलेक्ट कमिटी में भेजा जाय। अध्यक्ष महोदय, अगर इसको पास कर दिया जायेगा तो यह हास्यास्पद होगा। विभाग की तरफ से जैसा आ जाता है उसको न मिनिस्टर को देखने के लिये समय रहता है और सदन में भी जिस तरह से आज आया है हमलोग को भी देखने का कम ही मौका मिला है। हम समझते थे कि यह सेलेक्ट कमिटी में चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें इतनी त्रुटियां हैं जिनको नहीं देखा जायेगा तो हास्यास्पद हो जाएगा।

डा० जगन्नाथ मिश्र—करेक्ट हो जाता है।

श्री राजकुमार पूर्वे—करेक्ट हो जाता है लेकिन हाउस से तो ऐज इट इज पास हो जाएगा।

डा० जगन्नाथ मिश्र—मंत्री को संशोधन करने का पावर है।

श्री राजकुमार पूर्वे—आपको पावर है। सदन को यह कह दीजिये कि जहां-जहां इस तरह की अशुद्धियां हैं उनको ठीक कर दिया जाएगा। अगर अशुद्धि रह जायेगी तो कोर्ट में चला जाएगा। यहां तो पास ही हो जाएगा। इसलिये मैं कहता हूं कि इसमें कई त्रुटियां हैं। इससे पृष्ठ 26 के सेक्शन 49 में एक जगह लिखा है कि "इस अध्यादेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट", तो मैं जानना चाहता हूं कि यह अध्यादेश है या विधेयक है? यह तो टेकनिकल त्रुटि है जो

दूर की जा सकती है। इस पर न सरकार की ओर से कोई अमेंडमेंट है और न विरोधी पक्ष की ओर से कोई अमेंडमेंट है। इसलिये हां और ना कहकर पास हो जायेगा तो ठीक नहीं होगा। जनता पार्टी की जब सरकार थी तो यह संयुक्त प्रवर समिति में गया था और उसमें कांग्रेस (आई०) के सदस्य भी थे और विपक्ष के सदस्य भी थे। जो संशोधन उसने दिया था उस पर आज तक मिनिस्टर का सिगनेचर नहीं हुआ और नहीं आ सका क्योंकि एसेम्बली डिजौल्व हो गया और नया चुनाव हुआ। इस तरह वह बिल लैप्स कर गया। ऐसी हालत में अध्यक्ष महोदय हम चाहते हैं कि इसमें समय सीमा बांध दें एक महीने के अन्दर, दस दिनों के अन्दर प्रतिवेदन आने दें। और न हो तो सोमवार को सदन की बैठक रखें तो कल रविवार को हमलोग बैठें और विचार कर इसको पास करें। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है कि यहां की सरकार अध्यादेश पर चल रही है, लगा रहे। इसलिये मैंने कहा कि सोमवार को हाउस हो तो कल बैठक इसकी रखें और सोमवार को पास करा लें। इसके लिये हम तैयार हैं। अगर सोमवार को हाउस नहीं हो तो एक महीने का समय लीजिये। जून में सत्र अंडर कंस्टीच्यूशन बुलाना ही है, उसमें पास करा लीजिये। कोई ऐसी चीज मैं नहीं कहता जो सरकार की कोई नीति के खिलाफ हो। मैं कहता हूँ कि इसे अभी सेलेक्ट कमिटी में दिया जाय। मुख्य मंत्री इसपर तीन-तीन बार इक्वायरी बैठाये, लेकिन उसमें धांधली हो ही रही है। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका सर्टिफिकेट भी था। आवास बोर्ड में एक मकान के लिए पैसा जमा किया, उनके नाम से रजिष्ट्री भी हो गयी। इन्स्टोलमेंट देना भी शुरु कर दिया। तीन चौथाई हिस्सा उन्होंने जमा भी कर दिया था। इस पर भी बोर्ड ने उस मकान को किसी दूसरे आदमी के नाम से आवंटित कर दिया और वह आदमी रोता रहा। आज उसके घर में दूसरा आदमी बैठ गया है। इस तरह के एक नहीं, अनेकों उदाहरण हमारे पास है। माननीय सदस्य श्री राम लखन बाबू ने ठीक ही कहा है कि जिन लोगों की जमीन आवास बोर्ड लेती है वह विस्थापित हो जाता है, लेकिन सरकार उसके बसाने के लिए आज तक कोई दूसरा प्रबन्ध नहीं कर सकी है। नतीजा यह है कि बहुत अपने घर से बेघरवार हो हो गए हैं, बहुतों का जीविका का साधन एकमात्र खेती ही थी वह भी समाप्त हो गया है। नतीजा है कि ऐसे लोग मारे-मारे फिर रहे हैं, आप उन्हें नौकरी भी नही देते हैं। हाल ही की बात है। एक आदमी को श्रीकृष्णपुरी में जमीन

एलाट हुई, वह अपने जमीन पर घर बनाने गया तो देखता है कि उसपर झोपड़ी बनी हुई है। उसने कहा इसपर से झोपड़ी हटा लो, मेरे नाम से एलौट हुआ है, मैं घर बनाऊंगा, तो उसने कहा कि नहीं हम नहीं हटायेंगे। हममें से एक भाई ने नहीं लिखा है। इसपर वहाँ बहुत-से आदमी इकट्ठे हो गए और हंगामा खड़ा हो गया। नतीजा हुआ कि उनका उस जमीन पर अभी तक न कब्जा हो सका है और न वे घर ही बना सके हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। उसने कहा कि अभी हमारा केस चल रहा है जब तक केस का फैसला नहीं होगा हम झोपड़ी नहीं हटायेंगे। यह केन्द्रीय सरकार का विचार है कि जिनके घर नही है उन्हें घर बनाकर दिया जाय। इसके अलावा दूसरे-दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पैसा वाले को ही आवास बोर्ड से जमीन या मकान दिया जाता हैं, गरीब आदमी को नहीं मिल पाता है। मगर वे भी इन्सान हैं। जिनकी जमीन आप लेते हैं, जिन्हें आप विस्थापित करते हैं उनके लिए भी कुछ प्रबन्ध करें। विस्थापितों को भी आप दूसरी जमीन दीजिए, मकान बनाकर कनसेसन रेट पर उन्हें भी मकान दीजिये। उसे सेलेक्ट कमिटी में दीजिए। पैनल सिस्टम होना चाहिए। कंकड़बाग आज कितना बढ़ रहा हैं लगता है कुछ दिनों में वह एक दूसरा छोटा शहर हो जायगा। लेकिन उतने बड़े महल्ले के लिए दो-तीन ही पानी टंकी है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई जमीन आप अस्पताल के लिए छोड़े हुए हैं, या पार्क के लिए अथवा थाने के लिए यानी जो जमीन जिस काम के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित है, जिसे मैप में भी दिखाया गया है, उसे भी आपके आवास बोर्ड के अधिकारी एलौट कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें कोर्ट ने भी स्ट्रीक्चर दिया है...

अध्यक्ष—अभी आप अपना भाषण समाप्त कर लें फिर बाद में बोलेंगे।

श्री राज कुमार पूर्वे—मैं इतना अवश्य कहूँगा कि अभी आप सेलेक्ट कमिटी में दे दें। आप कहते हैं तो मैं बाद में ही बोलूंगा। इसमें बहुत-सी खराबियाँ हैं जिसे आप भी पसन्द नहीं करते हैं, सेलेक्ट कमिटी में सुधार दिया जायेगा। इस बोर्ड में बहुत-सी खराबियाँ हैं जिसके लिए सरकार ने बार-बार इंक्वायरी कमिटी बैठायी है। इसमें बहुत-से ऐसे प्रावधान हैं जो नहीं रहना चाहिए।

आप एक ही महीना का समय लें। फिर आप जून में सेशन करेंगे ही, नियमत: उस समय इसको पास कर लेंगे, लेकिन इसे अभी सेलेक्ट कमिटी में जाने दें।

अध्यक्ष—शांति, शांति, आप बैठ जायें। अब प्रश्नोत्तर होगा। और सरकार का जवाब उस पर बाद में होगा।

(प्रश्नोत्तर)*

श्री राजकुमार पूर्वे—अध्यक्ष महोदय, ऐसी परम्परा तो रही है कि जब माननीय सदस्य चायलेंज करते हैं तो इसकी जांच करवाई जाती है, इसलिए इनका भी करवा दिया जाय।

अध्यक्ष—आपको जानना चाहिए कि अध्यादेश पर परम्परा इस हाउस में नहीं है।

श्री अश्विनी कुमार शर्मा—मैंने स्पेसिफिक कहा है, लेकिन इसकी जांच नहीं करवाना चाहते हैं।

स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें।

अध्यक्ष—स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज मेरे सामने है जिसमें पहला है श्री लालमुनी चौबे, श्री मुंशीलाल राय, श्री श्रीनारायण यादव, श्री जयप्रकाश नारायण यादव, श्री वृषिण पटेल, श्री गणेश प्रसाद यादव, श्री उपेन्द्र वर्मा का जो है इण्डियन मेडिकल कौंसिल ने बिहार के पांच मेडिकल कालेजों की मान्यता रद्द कर दी है, उसके सम्बन्ध में।

दूसरा है इसी विषय पर श्री राजकुमार पूर्वे, श्री राजमंगल मिश्र एवं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का।

फिर दूसरा है श्री रामाश्रय सिंह, श्री अब्दुल हाकिम, श्री रामदेव वर्मा का 31 मार्च, 1982 को रक्सौल जी० आर० पी० के अधिकारियों द्वारा शहर के बड़े

टिप्पणी—(*) प्रश्नोत्तर के लिए कार्यवाही भाग 1 देखें।